2022 का विधेयक संख्यांक218.

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करनेके लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश,1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है । संक्षिप्त नाम।

5 सं0आ0 22 **2.** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 5 - हिमाचल प्रदेश में, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

"11. सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र का हाटी" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, "अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझाजाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 342 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघराज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघराज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध मेंवर्ष 1950 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की पहलीसूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । इस सूची को समय-समय पर उपांतरित किया गया था । हिमाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उपांतरित किया गया है । हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, उन समुदायों को छोड़कर, जिन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पहले ही अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया है,सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची मेंसम्मिलित करने का अनुरोध किया है ।

4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने का प्रस्ताव है ।

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 5 - हिमाचल प्रदेश की अनुसूची में, "सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र का हाटी"को प्रविष्टि 10 के पश्चात् अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंत:स्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव

करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
09 नवंबर, 2022

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची का संशोधन करके संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है । हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित स्कीमों को जारी रखने के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित फायदों के लेखे अतिरिक्त व्यय हो सकता है ।

2. इस प्रक्रम पर इस लेखे उपगत अतिरिक्त व्यय का आकलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर ही किया जाएगा ।